प्रेषक,

गरिमा यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 22 जुलाई, 2020

विषयः- आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं द्वारा विभागीय कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदया,

अवगत हैं कि अम्ब्रेला आईसीडीएस केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं में कुपोषण दूर करने हेतु अनुपूरक पोषाहार एवं टीकाकरण सहित विभिन्न संदर्भन सेवायें आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा किया जाता है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं द्वारा उक्त योजनाओं, जिनमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन, पोषाहार वितरण एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना आदि है, में रूचि नहीं ली जा रही है। इसके अतिरिक्त ICDS-CAS के अन्तर्गत कतिपय जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे वे विभागीय योजनाओं के संचालन/रिपोर्टिंग में इसका उपयोग कर सकें और उक्त रिपोर्टों के आधार पर डैशबोर्ड पर प्रदर्शित डेटा के माध्यम से विभागीय योजनाओं/कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके, किन्तु डैशबोर्ड पर डेटा के प्रदर्शन की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका अपने निवास स्थान पर नहीं रह रही हैं या नियमानुसार विभागीय कार्यों का सम्पादन नहीं किया जा रहा है।

2- उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निधारण विषयक शासनादेश संख्या-1606/60-2-12-2/1(22)/10 टीसी-।, दिनांक 04.09.2012 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-2-आयु सीमा (III) में प्राविधानित है कि "62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरान्त उनकी मानदेय सेवायें स्वत: समाप्त हो जायेंगी।" इस संबंध में भी यह संज्ञान में आया है कि जनपदों में कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकायें 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त भी सेवा में हैं तथा उन्हें मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जो वित्तीय अनियमितता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त विभागीय कार्यों के निष्पादन सम्बन्धी अन्य बिन्दुओं की भी जॉच कर दोषी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं की मानदेय आधारित सेवायें नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त जो

आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकायें 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं, उनकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए उनके मानदेय भुगतान पर रोक लगायी जाय तथा उनकी संविदा आधारित सेवायें अनिवार्य रूप से समाप्त करने की कार्यवाही की जाय। साथ ही ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।